सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 कार्तिक, 1940 (श०)

संख्या- 990 राँची, बुधवार, 24 अक्टूबर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

24 अक्टूबर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-158/2016-2583 (HRMS)-- श्री फुलेश्वर मुर्मू, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-अधीक्षक, मंडल कारा, गोड्डा के विरूद्ध कारा महानिरीक्षक, कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3838/जेल, दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 द्वारा निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप सं०-1. बंदी अधिनियम, 1894 की धारा-11 एवं कारा हस्तक नियम-61 के अनुसार, ".....The Superintendent shall manage the prison in all matters relating to discipline, labour, expenditure,punishment and Control....." परंतु इनके द्वारा उक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।

आरोप सं०-2. कारा में कुछ बंदियों द्वारा कारा कर्मियों की मिलीभगत से अवांछनीय वस्तु, यथा-गांजा कारा में उपयोग किया गया। उक्त गैरकानूनी कार्य के निमित्त कारा हस्तक नियम-612 के आलोक में तत्काल प्राथमिकी दर्ज किया जाना अपेक्षित था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया।

आरोप सं०-3. उपरोक्त गैरकानूनी घटना एवं कारा अपराध के निमित्त काराधीक्षक द्वारा घटना की सूचना वरीय पदाधिकारियों को नहीं दी गयी। घटना के लगभग दो माह बाद संबंधित न्यायालय को इसकी सूचना देना काराधीक्षक के संदिग्ध आचरण को परिलक्षित करता है।

आरोप सं०-4. कारा हस्तक नियम-73 में प्रावधानित है कि जेल के सभी महत्त्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कारा महानिरीक्षक को ससमय सूचना देना है, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। साथ ही कर्तव्यरत सुरक्षाकर्मियों द्वारा breach of security के विषय में न तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी और न ही वरीय पदाधिकारियों को प्रतिवेदित किया गया। यह उनके स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है।

आरोप सं०-5. गृह विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-6444, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 एवं कारा महानिरीक्षक के पत्रांक-676, दिनांक 17 मार्च 2016 द्वारा स्पष्ट आदेश के बावजूद काराधीक्षक द्वारा अपने व्यक्तिगत देखरेख में कारा में प्रत्येक सप्ताह तलाशी नहीं कराया जाना आदेशोल्लंघन का द्योतक है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10916, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्री मुर्मू से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया, जिसके अनुपालन में पत्र, दिनांक 11 अप्रैल, 2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया।

श्री मुर्मू के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7193, दिनांक 16 जून, 2017 द्वारा कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गयी। कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड के पत्रांक-1038/जेल, दिनांक 23 मार्च, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि श्री मुर्मू से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, दुमका द्वारा समर्पित जाँच-प्रतिवेदन को दृष्टिपथ में रखते हुए श्री फुलेश्वर मुर्मू, कार्यपालक दण्डाधिकारी को चेतावनी देते हुए भविष्य में अपने दायित्वों के निर्वहन के निमित्त सचेत किया जा सकता है।

श्री मुर्मू के विरूद्ध आरोप, इनका स्पष्टीरकरण एवं कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्री फुलेश्वर मुर्मू, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-अधीक्षक, मंडल कारा, गोड्डा को भविष्य में अपने दायित्वों के निर्वहन में सचेत रहने हेतु चेतावनी संसूचित करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PHOOLESHWAR MURMU JHK/JAS/196	श्री फुलेश्वर मुर्मू, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-अधीक्षक, मंडल कारा, गोड्डा को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी संसूचित किए जाने के संबंध में

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 990 -- 50